

**राजस्थान सरकार**  
**निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, राजस्थान, जयपुर**  
 क्रमांक:-ई-33/सीधी भर्ती/स0रे0/2011/ दिनांक:-

**आदेश**

राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 के अन्तर्गत सहायक रेडियोग्राफर के पद हेतु निदेशालय के क्रमांक:-ई-33/सीधी भर्ती/स0रे0/10/463 दिनांक 27.7.10 के द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित अभ्यर्थियों को वरियता के आधार पर निदेशालय के क्रमांक: ई-33/स0रे0/एम-70/नियु/11/6 दिनांक 7.1.11 के द्वारा चयनित किया गया है, को कार्यग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की समयावधि के लिए प्रोबेशनल ट्रेनी के रूप में पूर्णतः अस्थाई तौर पर मासिक नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) रूपये 7900/- पर सहायक रेडियोग्राफर पद पर नियुक्ति प्रदान कर पदस्थापन उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थानों पर किया जाता है। दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि (प्रोबेशनल ट्रेनी) सफलतापूर्वक पूर्ण करने तथा कार्य एवं व्यवहार संतोषप्रद पाये जाने पर ही पद की वेतन श्रृंखला 5200-20200, ग्रेड पे 2400 रूपये का न्यूनतम वेतन एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे। चयनित अभ्यर्थियों पर अंशदायी पेंशन योजना परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने के बाद लागू होगी।

क0 सं0	आवेदक का नाम /पिता,पति का नाम	गृह जिला	जन्मतिथि	जाति वर्ग	स्त्री / पुरुष	नियुक्ति हेतु पदस्थापन स्थान
1	कमल किशोर चौमाल /बालबिहारी शर्मा	जयपुर	12/07/85	GEN	M	टी0बी0 अस्पताल पाली
2	बिन्दु गौतम/रामस्वरूप गौतम	कोटा	25/11/90	GEN	F	जे0के0लॉन चिकि0 कोटा
3	जितेन्द्र कुमार शर्मा/महेन्द्र कुमार शर्मा	करौली	28/01/87	GEN	M	पीएमओ करौली
4	दिलीप सिंह /घूरे सिंह	भरतपुर	8/10/89	GEN	M	सीएचसी मावली, उदयपुर
5	प्रहलाद सिंह /मोहन सिंह	कोटा	20/01/87	GEN	M	सीएचसी चेचट कोटा
6	राकेश दांगी /कैलाशचन्द दांगी	झालावाड	5/12/88	BC	M	सीएचसी भवानीमंडी झालावाड
7	राजेश कुमार चौधरी/आसुराम चौधरी	जोधपुर	1/03/85	BC	M	पीएमओ सिरोही
8	रमेशचन्द रुण्डला /छाजूराम रुण्डला	जयपुर	15/07/89	BC	M	सीएचसी धरियावाद, प्रतापगढ
9	पुष्पेन्द्र सिंह /लक्ष्मण सिंह	भरतपुर	20/02/89	BC	M	सीएचसी बायतू, बाडमेर
10	दीनदयाल गोचर/रामधन गोचर	कोटा	10/01/85	BC	M	सीएचसी बडगांव, उदयपुर
11	विनय टेलर /बद्रीलाल टेलर	झालावाड	21/06/90	BC	M	सीएचसी बेगूं, चित्तौडगढ
12	प्रदीप गोतम/रामेश्वर गौतम	कोटा	16/09/85	GEN	M	सीएचसी अरनोद प्रतापगढ

फ

13	नागरसिंह / रघुवीरसिंह	अजमेर	3/05/61	GEN Ex serviceman	M	सीएचसी मसूदा, अजमेर
14	ज्योति यादव / मुरारीलाल यादव	कोटा	5/12/89	BC	F	सीएचसी बडी सादडी चित्तौडगढ
15	प्रीति गुप्ता / जयप्रकाश गुप्ता	बारां	23/08/86	GEN	F	जेएलएन चिकि० अजमेर
16	सुनिता कुमारी गोचर / देवीलाल गोचर	कोटा	3/09/87	BC	F	जेएलएन चिकि० अजमेर
17	चन्द्रजीत कृष्ण / राजेन्द्र प्रसाद यादव	अलवर	4/03/87	BC	M	पीएमओ पाली
18	आजाद कुमार धाकड / नानालाल धाकड	भीलवाड़ा	20/06/86	BC	M	सीएचसी निम्बाहेडा चित्तौडगढ
19	प्रवीण कुमार / सांवरमल	झुन्झुनूं	11/06/87	BC	M	पीबीएम चिकि० बीकानेर
20	योगेश कुमार / चन्द्रभान	अजमेर	12/03/88	BC	M	सीएचसी गोगून्दा उदयपुर
21	सुन्दरसिंह यादव / रामसिंह यादव	अलवर	1/07/75	BC	M	सीएचसी भदेसर, चित्तौडगढ
22	सुनीता चौधरी / रामगोपाल चौधरी	जयपुर	1/08/91	BC	F	जेएलएन चिकि० अजमेर
23	नरेन्द्र कुमार मेघवाल / किशन लाल	बांरा	1/06/88	SC	M	सीएचसी खैरवाडा उदयपुर
24	छोटूराम रैगर / बालूराम	जयपुर	10/10/82	SC	M	सीएचसी सिमलवाडा, डूंगरपुर
25	विरेन्द्र कुमार सांखला / चिरंजीलाल	सीकर	12/10/86	SC	M	पीबीएम चिकि० बीकानेर
26	शानू बोराणा / मोहन लाल	जोधपुर	3/08/88	SC	F	राज० चिकि० महिलाबाग, जोधपुर
27	रामनारायण मीणा / शिवदयाल मीणा	दौसा	8/12/84	ST	M	सीएचसी साखूं, रतनगढ
28	संतोष कुमार मीणा / भगवती लाल	करौली	11/08/85	ST	M	पीबीएम चिकि० बीकानेर
29	राकेश मीणा / हेमराज मीणा	कोटा	1/02/87	ST	M	पीबीएम चिकि० बीकानेर

उपरोक्त उल्लेखित अभ्यर्थी अपनी उपस्थिति संबंधित अधिकारी को दिनांक 7.3.2011 तक आवश्यक रूप से देवें। उपस्थिति के समय मूल शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र/जाति प्रमाण पत्र/स्वास्थ्य प्रमाण पत्र (फिजिकल फिटनेस प्रमाण पत्र), दिनांक 22.5.06 से पूर्व यदि विवाह हुआ हो तो शपथपत्र एवं दिनांक 22.5.06 के पश्चात हुए विवाह के लिए विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, दो चरित्र प्रमाण पत्र जो अलग-अलग राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित किये गये हो, प्रस्तुत करने होंगे। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत मूल प्रमाण पत्रों को आवेदन पत्र में संलग्न प्रमाणपत्रों की प्रति से मिलान करें। इन प्रमाण पत्रों की जांच एवं सही पाये जाने की संतुष्टि पश्चात ही अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण करावे। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में यदि अनियमितता पाई जाये तो प्रकरण तुरन्त निदेशालय को भिजवाये। कार्यग्रहण की अन्तिम तिथि 7.3.2011 तक कार्यग्रहण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे। आपराधिक दोष सिद्धि न होने का प्रमाण पत्र (पुलिस वैरीफिकेशन) संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक के द्वारा जारी किया गया हो, प्राप्त होने पर ही अभ्यर्थी को कार्यग्रहण कराया जावेगा। आचरण

AM

संदिग्ध अथवा दोष सिद्धि के कारण सजा होने की स्थिति में कार्यग्रहण न कराकर प्रकरण पूर्णरूप से तैयार कर मय दस्तावेजात के साथ अग्रिम आदेशार्थ संबंधित अधिकारी द्वारा निम्न हस्ताक्षरकर्ता को प्रेषित किये जायेंगे ।

चयनित अभ्यर्थी कार्यग्रहण से पूर्व संबंधित अधिकारी को शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा कि यदि कोई प्रमाण पत्र/दस्तावेज फर्जी संदिग्ध अथवा परिवर्तित किया हुआ पाया गया तो उसे सेवा से पृथक किया जा सकेगा तथा वह आपराधिक दण्डक कार्यवाही का भागी होगा । किसी भी अभ्यर्थी का कोई भी पात्रता संबंधी दस्तावेज या प्रमाण पत्र बाद सत्यापन असत्य/फर्जी पाये जाने पर उसके नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे । सेवारत कर्मचारियों द्वारा सक्षम अधिकारी से सहायक रेडियोग्राफर पद हेतु आवेदन प्रस्तुत किए जाने का अनापत्ति प्रमाण पत्र व कार्यमुक्ति आदेश की प्रति प्रस्तुत किए जाने पर ही कार्य पर लिया जाए । सेवारत कर्मचारियों को नियमानुसार पे-प्रोटेक्शन का लाभ देय होगा ।

दिनांक 1.6.2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक संतान नही होने का शपथपत्र 10 रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर जो नोटरी पब्लिक द्वारा सत्यापित किया गया हो, उपस्थिति रिपोर्ट के साथ उपरोक्त उल्लेखित शर्तों को पूर्ण करते हुए प्रस्तुत करना अनिवार्य है, इसके अभाव में अभ्यर्थी नियुक्ति का पात्र नहीं माना जावेगा ।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं  
राज० जयपुर

क्रमांक:-ई-33/सीधी भर्ती/स०रे०/2011/४०


दिनांक:-7/2/11

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 1- निजी सचिव, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री/राज्यमंत्री महोदय, राज० जयपुर ।
- 2- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज० जयपुर ।
- 3- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राज० जयपुर ।
- 4- उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग, राज० जयपुर ।
- 5- निदेशक, जन स्वास्थ्य/एड्स/प०क० मुख्यालय ।
- 6- वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय ।
- 7- संयुक्त निदेशक योजना मुख्यालय ।
- 8- समस्त संयुक्त निदेशक, चिकि० एवं स्वा० सेवाएं जोन
- 9- समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, राजस्थान ।
- 10- समस्त संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/अधीक्षक संलग्न चिकित्सालय समूह, राजस्थान को भेजकर लेख है कि पद उपलब्ध नहीं होने पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे एवं निदेशालय को अवगत करवाया जावे। आपके अधीन पदस्थापित किए गए अभ्यर्थियों के मूल आवेदन पत्र रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये जा रहे है। आप आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेजों को मूल शैक्षणिक, तकनीकी एवं अन्य समस्त प्रमाण पत्रों से मिलान कर सही पाये जाने एवं पूर्णतया संतुष्ट होने के उपरान्त ही नियुक्ति आदेश में दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत कर्तव्य पर लें। यदि किसी दस्तावेज की प्रामाणिकता संदिग्ध पायी जावे तो उन मामलों में स्पष्ट रिपोर्ट के साथ प्रकरण इस निदेशालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु अभिशंषा सहित अग्रेषित करें । सेवारत कर्मचारियों द्वारा सक्षम अधिकारी से सहायक रेडियोग्राफर पद हेतु आवेदन प्रस्तुत किए जाने का अनापत्ति प्रमाण पत्र व कार्यमुक्ति आदेश की प्रति प्रस्तुत किए जाने पर ही कार्य पर लिया जाए। इसके अतिरिक्त यह भी निर्देश दिये जाते है कि कार्यग्रहण उपरान्त भी शैक्षणिक एवं तकनीकी प्रशिक्षण संबंधी दस्तावेजों का सत्यापन 30 दिवस की अवधि में संबंधित राज्य के बोर्ड/संस्थान में वाहक भेजकर आवश्यक रूप से करवाया जावे। अभ्यर्थी को मूल दस्तावेज इसके पश्चात ही लौटाये जावे एवं सत्यापन की रिपोर्ट भी अविलम्ब निदेशालय को भेजे । इस प्रक्रिया में हुई किसी भी अनियमितता के लिए आपका व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा ।

एम

- 11- जन सम्पर्क अधिकारी, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि सहायक रेडियोग्राफर पद पर चयनित अभ्यर्थियों के पदस्थापन का समाचार राज्य के प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का श्रम करें।
- 12-प्रभारी, सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त सूची विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।
- 13-श्री/श्रीमती/सुश्री..... को उनके द्वारा आवेदन पत्र में अंकित पते पर पालनार्थ ।
- 14-आदेश/रक्षित पत्रावली ।

  
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं  
राज0 जयपुर